

F. No. 15/8/2022-Vig  
**Government of India**  
**Ministry of Finance**  
**Department of Financial Services**  
**(Vigilance Section)**  
\*\*\*\*\*

3rd Floor Jeevan Deep Building  
Parliament Street, New Delhi 110001  
Dated: 4 July, 2024

To

1. Chairman, SBI
2. MD & CEOs of Public Sector Banks (PSBs)

Subject: Appointment to the post of Additional Chief Vigilance Officers in various Public Sector Banks (including SBI) – reg.

Madam/ Sir,

Applications are invited for the post of 06 (six) Additional Chief Vigilance Officers (Addl. CVOs) on deputation basis in various Public Sector Banks (including State Bank of India) as mentioned below:

S. No.	Name of Bank	Number of Addl. CVOs to be posted	Location of Addl. CVOs
1.	Punjab National Bank	01	New Delhi
2.	Bank of Baroda	01	Mumbai
3.	Canara Bank	01	Chennai
4.	Indian Bank	01	Chennai
5.	Union Bank of India	01	Hyderabad
6.	State Bank of India	01	Mumbai

2. The details are given in following paragraphs.

3. Tenure:

The deputation tenure of Addl. CVOs will be for 03 years or till age of superannuation or till further orders, whichever is earlier.

4. Pay Scale/Perquisites admissible to Addl. CVOs:

The officers selected as Additional CVOs in PSBs shall draw their existing pay of their parent organisation plus deputation allowance thereon equal to 10% of their basic pay. They will be entitled to perquisites admissible to next higher positions in the borrowing organisation.

(P.T.O)

5. Eligibility :

- a) Officers of the level of Deputy General Manager (DGM) of Public Sector Banks including that of State Bank of India (with 2 years' experience, preferably in vigilance/credit matters at DGM level) with a minimum of 03 years' residual service, shall be eligible to apply for the above post.
- b) The candidate should possess requisite experience in handling large value advances and should also have sufficient exposure in other verticals.
- c) The candidate is not eligible for being appointed to the post of Additional CVO in his/ her parent bank.

6. Selection Process :

Selection of the candidates for appointment to the post shall be made by the Government in consultation with CVC, on the basis of their service record and interaction with the Selection Committee.

7. Exercise of choice :

The candidates should specify the preferences of locations of their choice while applying for the post of those listed in table at para 1 above and indicate the order of preference. Candidate will be placed to the extent possible, on the basis of merit cum preference of the candidate. However, Government reserves the right to take the final decision in the matter.

8. Forwarding of applications:

Respective organisations are requested to forward the applications/ names of the willing officers along with their complete bio-data in the format enclosed, and attested copies of their Annual Performance Assessment Reports (APARs) for the last five years (complete in all respects) i.e. from 2018-19 to 2022-23, to this Department on or before **31.07.2024**. While forwarding the names of the willing officers, it may be ensured that:

- a) the services of the willing candidates can be spared for at least 03 years for taking up this assignment; and
- b) the applicant must have a minimum of 03 years of service remaining as on the last date of submission of applications i.e. **31.07.2024**.
- c) the officer should not have any vigilance cases pending against them;
- d) the names of the officers who are under period of debarment need not be sent;
- e) officers, against whom any major or minor penalty was imposed in their career as a result of disciplinary proceeding, are not eligible for applying for the post of Addl. CVOs and thus, their applications may not be forwarded.

9. The names of candidates once forwarded for these posts will not be permitted to be withdrawn in any circumstances. Therefore, while forwarding the names for consideration, an undertaking may be obtained from the applicants to the effect that under no circumstances, they would withdraw their candidature once a decision is taken to nominate them for the post of Addl. CVO. While forwarding the application for these posts, a copy of this undertaking should be enclosed along with other requisite documents.

(P.T.O)

10. In the event of selection of the officer to one of these posts, the concerned officer shall be given three weeks' time to join new post/assignment of Addl. CVO, from the date of receipt of the order. If no response is received after three weeks, or if the officer fails to report for the assignment at designated place by given date, the process of his/her debarment for deputation in any organisation for a period of 05 years shall be initiated by his/her parent organisation after issuing a notice to that effect to the officer concerned. The formats for application have been prescribed in Annexure [Form 1, 2, 3].
11. The willing officers may send advance copy of their application in this regard to this Department for information by email at [vigilance-dfs@nic.in](mailto:vigilance-dfs@nic.in). However, their candidature shall be considered only after receipt of the hard copies of the application through official channel.
12. Hindi version will follow.

Yours sincerely,



(Sanjay Kumar Jha)

Under Secretary (Vigilance)

Tel: 011-23748709

e-mail: [vigilance-dfs@nic.in](mailto:vigilance-dfs@nic.in)


Encls: Prescribed Forms (03 Nos.)

Copy to: Director/NIC, with request to upload a copy of this circular on DFS website

\*\*\*

**Appointment to the post of Additional Chief Vigilance Officers (Addl. CVOs) in Public Sector Banks (including State Bank of India)**

Application Form



1.	Name of the Applicant				
2.	Date of Birth				
3.	Age as on the last date of application				
4.	Date of Superannuation				
5.	Present Post held				
6.	Name of the Organisation where posted				
7.	Present Pay and Scale of Pay				
8.	Details of Educational & Professional qualification (In chronological order)			PI add Annexure	
	Year From	Year To	Course Name	Board/ College/ University/ Institute	Subjects
9.	No. of Years of regular service				
10.	Work Experience of last ten years (PI add Annexure)				
	S. No.	Post held on regular basis	From To	Nature of duties	Experience in Vigilance/ Disciplinary matters
11.	Postal Address	Permanent:  Present:  Personal Contact no and email ID			
12.	<b>Certificate from the applicant:</b> I certify that the details furnished by me in the application form are correct to the best of my knowledge and belief and that I am eligible for the deputation post.  Date: _____ Place : _____ Signature of the applicant				
13.	<b>Certificate from the Employer:</b> Certified that the particulars furnished by Shri/Smt/Ms..... have been verified and found to be correct and that no disciplinary proceedings are either pending or being contemplated against him/her. The integrity of the candidate is certified.  <p align="right">Signature &amp; Designation of the competent forwarding authority and Office Seal</p>				
	Date : _____ Place: _____			Telephone no.: _____ Email ID : _____	

**Appointment to the post of Additional Chief Vigilance Officers (Addl. CVOs) in Public Sector Banks (including State Bank of India)**

Order of Preference & Undertaking

1.	Name of the Candidate	
2.	Date of Birth	
3.	Order of Preference of the post of Additional CVO	
	Options are – New Delhi, Mumbai, Chennai and Hyderabad	
	Preference 1	
	Preference 2	
	Preference 3	
	Preference 4	
4.	<p><b><u>Undertaking by the applicant</u></b></p> <p>I have applied for the post of Addl. CVO in Public Sector Banks in response to Government of India (Department of Financial Services) letter no. 15/8/2022-Vig dated _____. I hereby submit my undertaking that I shall not withdraw my application for candidature after my nomination/selection for appointment to the said post.</p> <p>Date: _____ Signature: _____ Place : _____ Name :</p>	
5.	<p><b><u>Forwarding by the Parent organisation</u></b></p> <p>The application and undertaking submitted by Shri/Smt _____ Designation _____ who has applied for appointment to the post of Addl. CVO in Public Sector Banks is hereby forwarded to the Department of Financial Services for consideration of his candidature.</p> <p align="center">Signature of Forwarding Authority and Office Seal</p> <p>Date: _____ Telephone no.: _____ Place: _____ Email ID : _____</p>	

**Appointment to the post of Additional Chief Vigilance Officers (Addl. CVOs) in Public Sector Banks (including State Bank of India)**

Details to be furnished by the Cadre Controlling Authority/Parent Office

i.	Name & designation of the officer		
ii.	Whether any disciplinary proceedings have been initiated against the officer during his career so far. If yes, whether it involved vigilance angle and whether any penalty imposed and also currency of penalty and details thereof.		
iii.	Whether any complaint including that of corruption against the officer which, in view of the State Government/ Cadre Controlling Authority may have a direct bearing/relevance on the vigilance status/ Integrity of the officer as on date, is pending against the officer. If so, details thereof.		
iv.	Whether any preliminary inquiry or any other vigilance related matter is pending against the officer. If so, full facts of the pending matter.		
v.	Whether any criminal proceedings were registered against the officer during his career so far. If so, details/present status and the final outcome thereof.		
vi.	Whether the name of the officer appears in the Agreed List or List of Officers of doubtful Integrity. If yes, full details may be given		
vii.	a) whether the officer is clear from vigilance angle		
	b) Whether integrity is certified or not		
viii.	a) Whether the officer has ever been debarred from deputation?		
	b) If yes, period of debarment		
ix.	APAR/ACR of the Candidate :		
	a)	APAR/ACRs complete up to ..... available?	Yes/No
	b)	APAR/ACR for any year (in the last 05 years) not available	
	c)	Adverse entries (expunged /unexpunged) in ACR/APAR(s), if any?	Yes / No
		If yes, year-wise details thereof (pl. Annex)	
d)	ACR grading of the last 05 years	Year/ Period	Grading (out of 100)
x.	List of Enclosures		
Signature of the Competent Authority certifying this proforma Official Seal containing Name & Designation			

फा.सं. 15/8/2022-सतर्कता

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
(सतर्कता अनुभाग)

\*\*\*\*\*

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001  
5 जुलाई, 2024

सेवा में,

1. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडिशनल सीवीओ) के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदया/महोदय,

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नानुसार 06 (छः) अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडिशनल सीवीओ) के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रम सं.	बैंक का नाम	तैनात किए जाने वाले अपर सीवीओ की सं.	अपर सीवीओ का स्थान
1.	पंजाब नेशनल बैंक	01	नई दिल्ली
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा	01	मुंबई
3.	केनरा बैंक	01	चेन्नई
4.	इंडियन बैंक	01	चेन्नई
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	01	हैदराबाद
6.	भारतीय स्टेट बैंक	01	मुंबई

2. इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिए गए पैराग्राफ में दिया गया है।

3. कार्यकाल:

अपर सीवीओ की प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए की जाएगी।

4. अपर सीवीओ का वेतनमान/स्वीकार्य परिलब्धियां:

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपर सीवीओ के पद पर चयनित अधिकारी अपने मूल संगठन में अपना मौजूदा वेतन और उस पर अपने मूल वेतन के 10% के समतुल्य प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करेंगे। वे अपनी तैनाती के संगठन में अगले उच्चतर पद हेतु स्वीकार्य परिलब्धियों के लिए पात्र होंगे।

#### 5. पात्रता:

- (क) भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत उप महाप्रबंधक (डीजीएम) स्तर के अधिकारी (जिन्हें डीजीएम के स्तर पर विशेष रूप से सतर्कता/ऋण संबंधी 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो), जिनकी कम से कम 03 वर्ष की सेवा शेष हो, वे उपर्युक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (ख) अभ्यर्थी को बड़े मूल्य के अग्रिमों के संबंध में कार्रवाई करने का अपेक्षित अनुभव हो तथा उन्हें अन्य वर्टिकल में भी पर्याप्त अनुभव हो।
- (ग) अभ्यर्थी अपने मूल बैंक में अपर सीवीओ के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

#### 6. चयन प्रक्रिया:

सरकार द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके सेवा अभिलेखों तथा चयन समिति के साथ बातचीत के आधार पर सीवीसी के परामर्श से किया जाएगा।

#### 7. विकल्प का प्रयोग:

अभ्यर्थियों को उपर्युक्त पैरा 1 में तालिका में सूचीबद्ध पदों के लिए आवेदन करते समय स्थान संबंधी अपने विकल्प और प्राथमिकता क्रम का उल्लेख करना चाहिए। अभ्यर्थियों को यथासंभव उनकी मेधा सह प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। तथापि, इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।

#### 8. आवेदनों को अग्रेषित करना:

संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों/नाम को संलग्न प्रारूप में उनके पूर्ण जीवन-वृत्त और विगत पांच वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की उनकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रमाणित प्रतियों (सभी तरह से पूर्ण) के साथ दिनांक **31.07.2024** को या इससे पहले इस विभाग को प्रेषित कर दें। इसके अलावा, इच्छुक अभ्यर्थियों का नाम भेजते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि:

- (क) इस कार्यभार को स्वीकार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की सेवा कम से कम 03 वर्ष के लिए उपलब्ध करायी जा सके;
- (ख) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, अर्थात् दिनांक **31.07.2024** की स्थिति के अनुसार अभ्यर्थियों की कम से कम 03 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए;
- (ग) अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए;
- (घ) वे अधिकारी, जो विवर्जन अवधि के तहत हों, के नाम न भेजे जाएं।
- (ङ) वे अधिकारी, जिनके कैरियर के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कोई छोटी अथवा बड़ी शास्ति लगायी गई हो, अपर सीवीओ के पद हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं और इसलिए उनके आवेदन को अग्रेषित न किया जाए।

9. इन पदों के लिए अभ्यर्थी का नाम एक बार भेजे जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे वापस लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, विचारार्थ नाम भेजते समय आवेदकों से यह शपथ पत्र लिया जाए कि एक बार अपर सीवीओ के पद के लिए नामित किए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद वे किसी भी परिस्थिति में अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लेंगे। इन पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करते समय अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ इस शपथ पत्र की प्रति भी संलग्न की जाए।

10. इनमें से किसी भी पद पर संबंधित अधिकारी का चयन किए जाने पर, संबंधित अधिकारी को नए पद/अपर सीवीओ के पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। तीन सप्ताह के समाप्त होने तक कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, या दी गई तारीख तक इस कार्यभार हेतु निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट न करने पर उक्त अधिकारी के मूल संगठन के द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित करते हुए किसी भी संगठन में उनकी प्रतिनियुक्ति पर 05 वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन का प्रपत्र अनुबंध [प्रपत्र 1, 2, 3] में दिया गया है।

11. इच्छुक अधिकारी इस संबंध में सूचना देने के लिए अपने आवेदन की अग्रिम प्रति [vigilance-dfs@nic.in](mailto:vigilance-dfs@nic.in) पर ई-मेल के द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग को भेज सकते हैं। तथापि, अधिकारिक चैनल के माध्यम से आवेदन की प्रति प्राप्त होने पर ही उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाएगा।

भवदीय,

संलग्न: निर्धारित प्रपत्र (03)

*Sanjay Kumar*

(संजय कुमार झा)

अवर सचिव (सतर्कता)

दूरभाष: 011-23748709

ईमेल: [vigilance-dfs@nic.in](mailto:vigilance-dfs@nic.in)

प्रतिलिपि: निदेशक/एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की प्रति वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

\*\*\*\*\*

## सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीबीओ) के पद पर नियुक्ति

## आवेदन प्रपत्र

फोटोग्राफ

1.	आवेदक का नाम			
2.	जन्म तिथि			
3.	आवेदन की अंतिम तिथि को आयु			
4.	अधिवाषिता की तिथि			
5.	वर्तमान धारित पद			
6.	संगठन का नाम जहाँ तैनात हैं			
7.	वर्तमान वेतन और वेतनमान			
8.	शैक्षिक और पेशे संबंधी अर्हताओं का विवरण (कालक्रमानुसार)			कृपया अनुबंध लगाएं
	वर्ष से	वर्ष तक	पाठ्यक्रम का नाम	बोर्ड/ कालेज/ विश्वविद्यालय/ संस्थान
				विषय
9.	नियमित सेवा के वर्ष			
10.	पिछले दस वर्ष का कार्यानुभव (कृपया अनुबंध लगाएं)			
	क्रम सं.	नियमित आधार पर धारित पद	से तक	दायित्वों का स्वरूप
				सतर्कता /अनुशासनात्मक मामलों में अनुभव
11.	डाक का पता	स्थायी:  वर्तमान:  व्यक्तिगत संपर्क संख्या और ई मेल आईडी		
12.	आवेदक से प्रमाण पत्र: मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन फॉर्म में मेरे द्वारा दिया गया ब्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं इस प्रतिनियुक्ति पद के लिए पात्र हूँ। तिथि: स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर			
13.	नियोक्ता से प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है और यह कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो लंबित है, न ही विचाराधीन है। आवेदक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। अप्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम और कार्यालय की मुहर			
तिथि :				दूरभाष सं:
स्थान:				ईमेल आईडी :

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीवीओ) के पद पर नियुक्ति वरीयता क्रम और वचन- पत्र**

1	अभ्यर्थी का नाम	
2	जन्म तिथि	
3	अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का वरीयता क्रम विकल्प-नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद हैं	
	वरीयता 1	
	वरीयता 2	
	वरीयता 3	
	वरीयता 4	
4	<p><b>आवेदक द्वारा वचन पत्र</b>  मैंने भारत सरकार (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिनांक ----- के पत्र संख्या 15/8/2022-सतर्कता के उत्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपर सीवीओ के पद के लिए आवेदन किया है। मैं एतद्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि मैं उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपने नामांकन/चयन के पश्चात् अभ्यर्थिता से संबंधित अपना आवेदन वापस नहीं लूंगा/लूंगी।</p> <p>तिथि: _____ हस्ताक्षर : _____  स्थान: _____ नाम : _____</p>	
5	<p><b>मूल संगठन द्वारा अग्रेषण</b>  श्री/श्रीमती/सुश्री.....  पदनाम....., जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपर सीवीओ के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन और वचन पत्र को उनकी अभ्यर्थिता पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग को अग्रेषित किया जाता है।</p> <p align="center">अग्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर</p> <p>तिथि: _____ दूरभाष सं. :- _____  स्थान: _____ ईमेल आईडी: _____</p>	

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीवीओ) के पद पर नियुक्ति

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/मूल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ब्यौरा

i.	अधिकारी का नाम और पदनाम:		
ii.	क्या आज की तारीख तक अधिकारी के कैरियर के दौरान उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। यदि हां, तो क्या इसमें सतर्कता से संबंधित मामला शामिल है और क्या कोई शास्ति लगाई गई है और शास्ति की वैधता अवधि और उससे संबंधित ब्यौरा।		
iii.	क्या अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सहित कोई शिकायत लंबित है, जिसका राज्य सरकार/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की दृष्टि में आज की तारीख में अधिकारी की सतर्कता स्थिति/उसकी सत्यनिष्ठा पर प्रत्यक्ष प्रभाव/प्रासंगिकता हो। यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।		
iv.	क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रारंभिक जांच या सतर्कता संबंधी कोई अन्य मामला लंबित है। यदि हां, तो लंबित मामले का पूरा ब्यौरा दें।		
v.	क्या अधिकारी के अब तक के कैरियर के दौरान उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई थी। यदि हां, तो उसका ब्यौरा/वर्तमान स्थिति और अंतिम परिणाम का विवरण दें।		
vi.	क्या अधिकारी का नाम सहमत सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में है। यदि हां, तो पूरा ब्यौरा दिया जाए।		
vii.	क)	क्या अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त है	
	ख)	सत्यनिष्ठा प्रमाणित है या नहीं	
viii.	क)	क्या अधिकारी को कभी प्रतिनियुक्ति से वंचित किया गया है?	
	बी)	यदि हां, तो वंचित होने की अवधि	
ix.	अभ्यर्थी का एपीएआर/एसीआर:		
	क)	एपीएआर/एसीआर ..... तक पूर्ण, उपलब्ध है?	हाँ / नहीं
	ख)	किसी भी वर्ष का एपीएआर/एसीआर (पिछले 05 वर्षों में) उपलब्ध नहीं है	
	ग)	एसीआर/एपीएआर(ओं) में प्रतिकूल प्रविष्टियां (निकाली गई/नहीं निकाली गई), यदि कोई हो? यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा (कृपया अनुबंध लगाए )	हाँ / नहीं
घ)	पिछले 05 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग	वर्ष / अवधि	ग्रेडिंग (100 में से )
x.	संलग्नकों की सूची		
इस प्रोफार्मा को प्रमाणित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर			
नाम और पदनाम वाली आधिकारिक मुहर			